न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 187 / 2022

1 सुमेर सिंह पुत्र प्रसादीलाल जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नीतू पुत्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 ओमपति पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 संतोष पुत्री अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
4 योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 प्रमोद कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 रेणु पुत्री स्व. अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7 श्रीमती सुशीला पुत्री प्रसादीलाल जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
8 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
9 झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज. जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 09.03.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी नीतू बनाम सुमेर सिंह वगै. मु.नं. 28/2022 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. सुश्री ममता वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 1/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 28/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर नम्बर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 रकबा 3.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 3.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/605 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 814/576 रकबा 0.28 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम लाम्बा गोठड़ा तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया जिसके साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में विचारण न्यायायल ने दिनांक 09.03.2022 को विचाराधीन आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के मुताबिक जब रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो रिकार्डेड

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खातेदार को सुनकर 30 दिवस से अस्थाई निषेधाज्ञा पर रिकार्डेड खातेदार को सुनकर पुनः निर्णय पारित करना चाहिये। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधानों की पालना नहीं की। इस कारण विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। अपीलान्ट ने विचाराधीन निर्णय की दिनांक 09.03.2022 को पता चलने पर नकल प्राप्त की। कई महिनों तक अपीलान्ट बीमार रहा। दिनांक 01.12.2022 को सामाजिक मिटिंग में उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 01.12.2022 अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी किसी कारणवश माननीय न्यायालय अपील अपीलान्ट अंदर मियाद नहीं माने उस सुरत में हुई देरी माफ की जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावे। देरी माफ करने के लिए दफा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2022 को जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलांट को नोटिस भिजवाये गये है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित धारा 212 के आवेदन में उपस्थित होकर चाराजोही किये बिना दिनांक 09.03.2022 को जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध दिनांक 13.12.2022 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में धारा 212 का आवेदन उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 1/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)